राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रप–3)

एफ9 4( )ग्रावि/ग्रारो/बैठक/09 जयपुर, दिनांक: 31.7.2009

10 AUG 2009

संशोधित आदेश

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

दिनांक 17 जुलाई, 2009 को इस विभाग द्वारा जारी किए गए समसंख्यक आदेश के पैरा संख्या (अ) के बिन्दू संख्या 1 में से निम्न वाक्यों को तुरन्त प्रभाव से विलापित किया जाता है :–

" योजना के प्रभावी कियान्वयन के मद्देनजर कार्यभार की वास्तविक आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण सेवाएं कार्मिक प्रदाता संस्थाओं को अनुबंध पर दे दी जावे। संस्थाओं का चयन नियमानुसार प्रकिया अपनाई जाकर किया जावे। विभिन्न संवर्गो/पदों की सेवाएं अनुबन्ध पर लेने के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मासिक दरों पर एक निश्चित अतिरिक्त प्रभार जोड़ते हुए इन संस्थाओं को कार्य आवंटित किया जावे। आवश्यक होने पर एक से अधिक संस्थाएं भी नियोजित की जा सकती हैं।"

उक्त वाक्यों के स्थान निम्न वाक्य जोड़ा जाता है :–

"राज्य सरकार द्वारा इन पदों को भरने के सम्बंध में जो निर्देश जारी किए जायेंगे, उसके अनुसार इन पदों को भरने की कार्यवाही की जावे।

(जी.एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. अधिशासी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, समस्त। कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

परि. निदेशक एवं उप सचिव (ग्रारो)